भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4991

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

आजीविका और उद्यमों के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) परियोजना

4991. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में आजीविका और उद्यमों के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) परियोजना के अंतर्गत परित्यक्त और अनाथ ट्रांसजेंडरों को आश्रय प्रदान करने के लिए गरिमा गृहों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए गए गरिमा गृहों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन्हें किस तारीख से शुरू किया गया था और यदि नहीं, तो योजना का कार्यान्वयन न किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) आश्रय गृहों में रहने वालों की संख्या कितनी है और आश्रय गृहों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गरिमा गृहों के लिए स्माइल के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है और अब तक कितनी निधि का उपयोग किया गया है;

(ड.) क्या निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त तंत्र उपलब्ध कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मंत्रालय की जिलावार जागरुकता शिविर आयोजित करने की कोई योजना है ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके, यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): गरिमा गृह जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए "आजीविका और उद्यम के लिए लाभवंचित व्यक्तियों के लिए सहायता" (स्माइल) योजना के अंतर्गत उप-योजना, नामत: 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए

लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना' के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा देशभर के 15 राज्यों/संघ राज्य-राज्य-क्षेत्रों में 18 गरिमा गृहों को सहायता दी जाती है। गरिमा गृहों और गरिमा गृहों में लाभार्थियों का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय देने के अलावा, गरिमा गृह में भोजन, चिकित्सा देखभाल, योग, ध्यान और मनोरंजक सुविधाएं जैसे खेल, पुस्तकालय सेवाएं, शौक पूरे करने के अवसर आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। गरिमा गृह में क्षमता निर्माण और कौशल विकास गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): स्माइल योजना के तहत गरिमा गृहों के लिए अब तक 6.8 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और इस धनराशि का उपयोग कर लिया गया है।

(ङ): प्रत्येक गरिमा गृह में एक परामर्शदाता होता है जो गरिमा गृह में रहने वाले लाभार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श देता है।

पूरे देश में चौबीसों घंटे नि:शुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली मानस) अक्तूबर, 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित जरूरतमंद व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन (14416) स्थापित की गई है।

(च): राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन स्माइल योजना का प्रचार-प्रसार और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं।

संलग्नक

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4991 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

"ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना" नामक उप-योजना के अंतर्गत कार्यरत गरिमा गृहों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	गरिमा गृहों की सं.	स्थापना की तारीख	वर्तमान में निवास कर रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सं.
1.	दिल्ली	1	05.04.2021	25
2.	ओडिशा	1	14.06.2021	25
3.	तमिलनाडु	1	18.06.2021	20
4.	बिहार	1	01.06.2021	43
5.	महाराष्ट्र	3	04.06.2021, 22.06.2021 तथा 10.09.2021	72
6.	छत्तीसगढ	1	01.04.2021	35
7.	गुजरात	1	01.05.2021	23
8.	राजस्थान	1	22.06.2021	25
9.	पश्चिम बंगाल	2	18.04.2021 तथा 03.05.2021	27
10.	आंध्र प्रदेश	1	18.07.2024	25
11.	असम	1	18.07.2024	25
12.	कर्नाटक	1	12.07.2024	26
13.	पंजाब	1	18.07.2024	25
14.	मध्य प्रदेश	1	03.09.2024	8
15.	उत्तर प्रदेश	1	03.09.2024	25
कुल		18	-	**429**

*****